न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी
पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 92 / 2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024 / 131
दायर दिनांक :- 19.07.2024 निर्णय दिनांक :- 22.12.2024

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. अबास पुत्र लालदीन 2. अब्दुल रहमान पुत्र लालदीन 3. जमाली पत्नि लालदीन 4. बिस्मिला पुत्री लालदीन 5. सखीमोहम्मद पुत्र लालदीन 6. सुफिया पुत्री लालदीन 7. सरबत पुत्री लालदीन 8. हबीबखातु पुत्री लालदीन जाति मुसलमान निवासी जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी		श्रीमान तहसीलदार बाप

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित:- 1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

सहायक कलेक्टर बाप जिला फलोदी (राज.)

-:: निर्णय ::-

वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आश्य से पेश किया कि वादीगण की खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि ग्राम जोड़ पटवार क्षेत्र जोड के खसरा नम्बर 295 रकबा 4-08 बीघा भूमि स्थित है। जिसे आगे वाद में **वादग्रस्त भूमि** के नाम से संबोधित किया जायेगा। उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 295 रकबा 4-08 बीघा पूर्व में हनीफो बेबा अखी मोहम्मद, नसरदीन पुत्र अखीमोहम्मद उर्फ मेमुदा, अलादीन, सिकन्दर पिसरान मेमुदा, के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। इन सभी ने उक्त भूमि से अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादीगण 1, 2 व 4 ता 8 के पिता व वादी संख्या 3 के पति लालदीन पुत्र बंधे खां को दिनांक 11.10.2010 को बैचान कर दिया था और मौके पर कब्जा इसी दिन विकेतागण ने वादीगण 1, 2 व 4 ता 8 के पिता व वादी संख्या 3 के पति लालदीन पुत्र बंधे खां को सुपुर्द कर दिया था। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर भर गये नामान्तकरण संख्या 608 मौजा जोड़ में पटवारी हल्का ने खातेदारों द्वारा सम्पूर्ण हिस्सा बैचान कर देने के बाद

22/12/24
सहायक कलेक्टर
(फलोदी)

भी सरासर गलत रूप से नसरदीन पिता मेमुदा का नाम राजस्व रेकर्ड में यथावत रख दिया जबकि नसरदीन पुत्र मेमुदा ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा बैचान कर दिया था। जो विक्रय पत्र दिनांक 11.10.2010 से प्रमाणित है। वर्तमान में लालदीन पुत्र मगे खां फौत हो चुके है जिसके वारीसान वादीगण ही है। इसलिए वादीगण नामान्तरकरण संख्या 608 मौजा जोड़ को निरस्त करवाकर खसरा नम्बर 295 रकबा 4–08 बीघा भूमि में गलत रूप से दर्ज नसरदीन पुत्र मेमुदा का नाम विलोपित करवा कर माफिक विक्रय पत्र अनुसार वादीगण खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है जिसका यह वाद पेश है।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार ने जवाब ग्राम जोड़ पटवार हल्का जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 295 रकबा 4–08 बीघा भूमि में सरासर गलत रूप से भरे गये नामान्तरकरण संख्या 608 मौजा जोड़ को निरस्त किया जाकर वादीगण का नाम दर्ज किया जाता है तो कोई उजर एतराज नहीं है। प्रतिवादी की और से वाद का विरोध नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। अधिवक्ता वादीगण साक्ष्य नहीं करवाना चाहते है। पत्रावली बहस में रखी गई।

हमने उभय पक्ष बहस सुनी। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि वादीगण की खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि ग्राम जोड़ पटवार क्षेत्र जोड के खसरा नम्बर 295 रकबा 4–08 बीघा भूमि स्थित है। जिसे आगे वाद में वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जायेगा। उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 295 रकबा 4–08 बीघा पूर्व में हनीफो बेबा अखी मोहम्मद, नसरदीन पुत्र अखीमोहम्मद उर्फ मेमुदा, अलादीन, सिकन्दर पिसरान मेमुदा, के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। इन सभी ने उक्त भूमि में अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादीगण 1, 2 व 4 ता 8 के पिता व वादी संख्या 3 के पति लालदीन पुत्र मंगे खां को दिनांक 11.10.2010 को बैचान कर दिया था और मौके पर कब्जा इसी दिन विक्रेतागण ने वादीगण 1, 2 व 4 ता 8 के पिता व वादी संख्या 3 के पति लालदीन पुत्र मंगे खां को सुपुर्द कर दिया था। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर भर गये नामान्तकरण संख्या 608 मौजा जोड़ में पटवारी हल्का ने खातेदारों द्वारा सम्पूर्ण हिस्सा बैचान कर देने के बाद भी सरासर गलत रूप से नसरदीन पिता मेमुदा का नाम राजस्व रेकर्ड में यथावत रख दिया जबकि नसरदीन पुत्र मेमुदा ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा बैचान कर दिया था। जो विक्रय पत्र दिनांक 11.10.2010 से प्रमाणित है। वर्तमान में लालदीन पुत्र मगे खां फौत हो चुके है जिसके वारीसान वादीगण ही है। इसलिए वादीगण नामान्तरकरण संख्या 608 मौजा जोड़ को निरस्त करवाकर खसरा नम्बर 295 रकबा 4–08 बीघा भूमि में गलत रूप से दर्ज नसरदीन पुत्र मेमुदा का नाम विलोपित करवा कर माफिक विक्रय पत्र अनुसार वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने का आदेश फरमावे।

22/12/15

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अधिवक्ता वादीगण एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद मनन, अवलोकन एवं अध्ययन करने पर पाया गया कि ग्राम जोड़ के खसरा नम्बर 295 रकबा 4–08 बीघा भूमि के पूर्व खातेदार हनीफो बेवा अखीमोहम्मद, नसरदीन पुत्र अखीमोहम्मद उर्फ मेमुदा, अलादीन, सिकन्दर पि. मेमुदा ने अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण भूमि का बेचान लालदीन पुत्र मंगे खां को कर दिया था जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 608 मौजा जोड़ भरा जाकर स्वीकृत हुआ, लेकिन पटवारी हल्का ने नसरदीन पुत्र मेमुदा का नाम यथावत रख दिया जबकि उक्त भूमि के पूर्व खातेदारों ने सम्पूर्ण भी लालदीन पुत्र मंगे खां को जरिये पंजीबद्व विकय पत्र के बेचान कर दी थी जो पंजीबद्व विकय पत्र की चित्रप्रति से साबित है। नामान्तरकरण संख्या 608 मौजा जोड़ को निरस्त किया जाकर माफिक विकय पत्र दिनांक 30.06.2010 के अनुसार लालदीन पुत्र मंगे खां के स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है। वादीगण ने अपने वाद को दस्तावेजात से साबित किया है। वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि नामान्तरकरण संख्या 608 ग्राम जोड़ को निरस्त किया जाकर खसरा नम्बर 295 रकबा 4–08 बीघा भूमि में माफिक विकय पत्र अनुसार लालदीन पुत्र मंगे खां के स्थान पर वादीगण को को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

वादीगण

1. अबास पुत्र लालदीन
2. अब्दुल रहमान पुत्र लालदीन
3. जमाली पत्नि लालदीन
4. बिस्मिला पुत्री लालदीन
5. सखीमोहम्मद पुत्र लालदीन
6. सुफिया पुत्री लालदीन
7. सरबत पुत्री लालदीन
8. हबीबखातु पुत्री लालदीन

जाति मुसलमान निवासी जोड़
तहसील बाप जिला फलोदी

बनाम

प्रतिवादी

श्रीमान तहसीलदार बाप

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 92/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी एवं हाजिर राजेन्दसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि नामान्तरकरण संख्या 608 ग्राम जोड़ को निरस्त किया जाकर खसरा नम्बर 295 रकबा 4–08 बीघा भूमि में माफिक विक्रय पत्र अनुसार लालदीन पुत्र मंगे खां के स्थान पर वादीगण को को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। नीचे

मुतालिक
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
वसूल याबी तक

बाबत्
फीस सदी सालाना आज की तारीख
को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.12.2024 को जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल,R.A.S)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।